है जिसके आधार पर सरकार मामले केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेजती है। तथापि नीचे दी गई श्रेणियों के मामले सामान्यतः जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यरो को सौंपे जाते हैं।

(i) विश्वासघात, जालसाजी, धोखाधड़ी, आपराधपूर्ण विश्वासघात, झूठे रिकार्ड इत्यादि के अपराध वाले मामले।

(ii) लोक सेवकों द्वारा आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक अनुपात में परिसंपत्तियां रखना।

(iii) अन्तर्राज्यीय / अन्तर्राष्ट्रीय जांच वाले मामले अथवा गैर-सरकारी रिकार्डों, लेखा-पुस्तकों इत्यादि की जांच से संबंधित पेचीदा मामले।

(iv) अन्य पेचीदा मामले जिनमें पुलिस विशेषज्ञों द्वारा जांच कराई जानी अपेक्षित है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो को वैधानिक दर्जा

1493. **श्री राम सिंह राठवा :**
श्री ईश दत्त यादव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो को वैधानिक दर्जा प्राप्त न होने की वजह से जांच करने में अनेक कठिनाइयां पेश आ रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो को वैधानिक दर्जा देने के लिए अब तक क्या प्रयास किये गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) से (ग) संविधान की 7वीं अनुसूची (राज्य सूची की सूची–II–की प्रविष्टि संख्या 1 तथा 2) के अनुसार सार्वजनिक व्यवस्था तथा पुलिस राज्य से संबंधित विषय हैं। इस विषय से संबंधित वर्तमान कार्य-व्यवस्था के अनुसार किसी राज्य में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जाने वाली कोई भी जांच राज्य सरकार की विशेष सम्मति से ही की जा सकती है। जब तक विभिन्न राज्य सरकारें केन्द्रीय जांच ब्यूरो को जांच करने की आम सम्मति देने के लिए तैयार नहीं हो जाती तब तक केन्द्रीय जांच ब्यूरो को मात्र वैधानिक दर्जा देने से मौजूदा कठिनाइयां दूर नहीं होंगी।

Special casual leave to employees, attending office on a rally day

1494. SHRI SYED SIBTEY RAZI: Will the PRIME MINITER be pleased to state:

Special casual leave to employees,

(a) whether Special Casual Leave was granted to Government employees of Delhi who did not attend offices on 25-2-93 due to a rally organised by Bhartiya Janta Party at Boat Club;

(b) if so, the details of relevant instructions;

(c) whether beneficiaries of Special Casual leave include Government employees who have been allotted Government Accommodation within 6 kilometres of their offices and also given Motor Cycle/Car advance;

(d) if so, the details thereof;

(e) whether no Special Casual leave or any monetary benefit has been provided to Government employees who attended their offices on 25.2.93 after covering 20 to 25 kilometres distance on foot;

(f) whether such partial decesion of Government will make employees as in part (e) above not to attend their offices in future in similar circumstances;